न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार .... (बून्दी)

सरकार बनाम जीतेन्द्र/हरजी व चतराफ बाई वा० हरजी बैरवा निवासी बड़ारवड़ा

निर्णय

मु.नं. 37/2018 तारीख रजू 15.1.2018 तारीख निर्णय 29/11/2018

आज पत्रावली व मुकाम अरलखेरा केन्द्र मारखेड़ा पेश हुई कि गैर सायल उपस्थित है/नहीं है। रिपोर्ट पटवारी ग्रांव मारखेड़ा प्राप्त होने पर यह है कि गैर सायल श्री जीतेन्द्र/हरजी पुत्र श्री चतराफ बाई वा० हरजी जाति बैरवा निवासी बड़ारवड़ा द्वारा आराजी खसरा नं. 325 रकबा 0.60 किस्म जमीन बा 2 मौजा पीपल्दाखारा पर संवत 20.... में अतिक्रमण कर काश्त/कब्जा कर लिया है। गैर सायल के नियमानुसार धारा 91 भू राजस्व अधिनियम सन1956/उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया गया जो बाद तामील शामील मिसल किया गया। अतिक्रमी बावजूद तामील के भी हाजिर नहीं है। उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उसने कोई जवाब व सबूत पेश नहीं किया। अतिक्रमी ने उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा/काश्त करके धारा 91 एल.आर. एक्ट / राज. उपनि. अधिनियम की धारा 22 का उल्लंघन किया है। गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अतिक्रमी श्री चतराफ बैरवा को आराजी खसरा नं. 325 रकबा 0.60 मौजा पीपल्दाखारा से बेदखल किया जाता है एवं लगान दर 7.00 से उक्त रकबा लगान 4.20 का 50 गुना में शास्ति 210 कायम की जाती है एवं फसल नीलामी फर्द तैयार करने व बेदखली हेतु पटवारी एवं भू. अभि. निरीक्षक को लिखा जावे तथा राजस्व लेखाकार एवं पटवारी को वसूली व जमा कायमी कराई जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया।

नायब तहसीलदार

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील इन्द्रगढ़

दिनांक 29/11/2018